68/2021 महावीर — भरपाना आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12-1-22	पक्षकारों के वकील अपीलांट की उपस्थिति पर पेशी की गयी अपीलांट व रीस्पो के वकील के उपस्थित प्रकरण L.C. को रद्द करने के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के साथ दायर विलम्ब माफ किये जाने का निवेदन किया आदेशिका का धारावाहन किया उक्त पक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट की ओर से यह कहा जाता है कि विद्वान न्यायालय को आदेशित किया जावे कि उसके समक्ष लम्बित धारा 212 के आवेदन से आदेशित किया उसी प्रकार में इस आदेश के कि यह भी अपील में अंतिम रूप से निस्तारण तक प्रतिबन्ध को लिप्त करें स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपील फाइल होने तक के लिए अपर तहसीलदार सीकर रहे। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	एक माह में निर्णय के निर्देश के साथ स्थगित करने पर सहमत है लाई